

30 जून 2023

संदर्भ सं. राब्रैं.डॉर/ 405/ एलटी नीति-9/ 2023-24 परिपत्र सं. 146/ डॉर - 29/ 2023

अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदया/ महोदय,

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के	Operational Guidelines for
अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु	Schematic Lending under Long
परिचालन दिशानिर्देश - क्षेत्रीय ग्रामीण	Term Refinance for F.Y 2023-2024
(क्षे.ग्रा.) बैंक	– Regional Rural Banks (RRBs)
वर्ष 2023-24 के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के परिचालन दिशानिर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं. क्षे.ग्रा. बैंकों के पुनर्वित्त आवेदनों का निपटान नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पुनर्वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा.	The operational guidelines for LT Refinance for the year 2023-2024 for Regional Rural Banks is enclosed. The refinance applications of RRB shall be dealt with by DoR, NABARD Regional Office.
 ये दिशानिर्देश नाबार्ड की वेबसाइट	2. These guidelines are also available on
<u>www.nabard.org</u> के 'सूचना केंद्र' टैब में भी	NABARD website www.nabard.org
उपलब्ध हैं.	under the tab information Centre.
3. कृपया पावती दें.	3. Please acknowledge receipt.

भवदीय

विवेक सिन्ध

(विवेक कृष्ण सिन्हा) मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: 19 पृष्ठ

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक National Bank for Agriculture and Rural Development -

पुनर्वित विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 • टेलि. : 022 2652 4926 • फैक्स : 022 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org Department Of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel. : 022 2652 4926 • Fax : 022 2653 0090 • E-mail : dor@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े





मुख्य प्रलेख/ MAIN DOCUMENT

	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के
प्रलेख शीर्षक/ Document Title	अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन
	दिशानिर्देश - क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षे.ग्रा.) बैंक
stig they bocument file	Operational Guidelines for Schematic
	Lending under Long Term Refinance for
	FY2023-24 - Regional Rural Banks
मसौदा तैयार किया गया (विभाग)/	पुनर्वित्त विभाग
Drafted By (Dept.)	Department of Refinance
तिथि/	₃₀ जून 2023
Date	30 June 2023
प्रलेख वर्गीकरण (आंतरिक/बाह्य)/	बाह्य
Document Classification (I/E)	External
प्रलेख संख्या/ संस्करण संख्या/	संस्करण 4.0 (2023-24)
Document No./ Version No.	Version 4.0 (2023-24)

संस्करण का इतिहास/ Version History

संस्करण	वित्तीय	परिवर्तन/ टिप्पणियाँ /	द्वारा
संख्या/	वर्ष/	Changes/Comments	परिवर्तित/
Version	FY		Changed
No.			by
1.0	2020-21	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण	पुनर्वित्त विभाग
		के लिए पुनर्वित्त नीति - क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षे.ग्रा.) बैंक	Department
		Refinance Policy for Schematic Lending for	of Refinance
		F.Y. 2020-2021- Regional Rural Banks	
		(RRBs)	
2.0	2021-22	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण	पुनर्वित्त विभाग
		के लिए पुनर्वित्त नीति: क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षे.ग्रा.) बैंक	Department
		Refinance Policy for Schematic Lending for	of Refinance
		F.Y. 2021-2022 – Regional Rural Banks	
		(RRBs)	
3.0	2022-23	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के	पुनर्वित्त विभाग
		अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन	Department
		दिशानिर्देश - क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षे.ग्रा.) बैंक	of Refinance
		Operational Guidelines for Schematic	
		Lending under Long Term Refinance for F.	
		Y 2022-2023 – Regional Rural Banks	
		(RRBs)	~ ~
4.0	2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के	पुनर्वित्त विभाग
		अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन	Department
		दिशानिर्देश - क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षे.ग्रा.) बैंक	of Refinance





Operational Guidelines for Schematic
Lending under Long Term Refinance for F.
Y 2023-2024 – Regional Rural Banks
(RRBs)

संस्करण का अनुमोदन/ Version Approval

संस्करण	अनुमोदन की	परिवर्तन/ टिप्पणियाँ /	द्वारा
संख्या/	तिथि/	Changes/Comments	अनुमोदित/
Version	Date of		Approved
No.	Approval		by
1.0	13.04.2020	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु योजनाबद्ध ऋण	अध्यक्ष/
		वितरण के लिए पुनर्वित्त नीति - क्षेत्रीय	Chairman
		ग्रामीण (क्षे.ग्रा.) बैंक	
		Refinance Policy for Schematic	
		Lending for F.Y. 2020-2021-	
		Regional Rural Banks (RRBs)	
2.0	07.04.2021	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु योजनाबद्ध ऋण	अध्यक्ष/
		वितरण के लिए पुनर्वित्त नीति: क्षेत्रीय	Chairman
		ग्रामीण (क्षे.ग्रा.) बैंक	
		Refinance Policy for Schematic	
		Lending for F.Y. 2021-2022 -	
		Regional Rural Banks (RRBs)	
3.0	19.04.2022	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त	अध्यक्ष/
		के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु	Chairman
		परिचालन दिशानिर्देश - क्षेत्रीय ग्रामीण	
		(क्षे.ग्रा.) बैंक	
		Operational Guidelines for	
		Schematic Lending under Long	
		Term Refinance for F. Y 2022-2023	
		– Regional Rural Banks (RRBs)	
4.0	30.06.2023	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दीर्घावधि	अध्यक्ष/
		पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण	Chairman
		वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - क्षेत्रीय	
		ग्रामीण (क्षे.ग्रा.) बैंक	
		Operational Guidelines for	
		Schematic Lending under Long	
		Term Refinance for F. Y 2023-2024	
		– Regional Rural Banks (RRBs)	





संदर्भ/ References

संस्करण संख्या/ Version No.	अनुमोदन की तिथि/ Date of Approval	परिवर्तन/ टिप्पणियाँ / Changes/Comments	द्वारा अनुमोदित/ Approved by
1.0	13.04.2020	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण के लिए पुनर्वित्त नीति - क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षे.ग्रा.) बैंक Refinance Policy for Schematic Lending for F.Y. 2020-2021- Regional Rural Banks (RRBs)	अध्यक्ष/ Chairman
2.0	07.04.2021	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण के लिए पुनर्वित्त नीति: क्षेत्रीय प्रामीण (क्षे.ग्रा.) बैंक Refinance Policy for Schematic Lending for F.Y. 2021-2022 – Regional Rural Banks (RRBs)	अध्यक्ष/ Chairman
3.0	19.04.2022	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षे.ग्रा.) बैंक Operational Guidelines for Schematic Lending under Long Term Refinance for F. Y 2022-2023 – Regional Rural Banks (RRBs)	अध्यक्ष/ Chairman
4.0	30.06.2023	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षे.ग्रा.) बैंक Operational Guidelines for Schematic Lending under Long Term Refinance for F. Y 2023-2024 – Regional Rural Banks (RRBs)	अध्यक्ष/ Chairman





वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण - परिचालन दिशानिर्देश Schematic Lending for FY 2023-24 - Operational Guidelines

1. प्रस्तावना Introduction

नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र को कवर करने वाली पात्र गतिविधियों के लिए ऋण सहायता प्रदान करने हेतु पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है.

NABARD provides refinance to RRBs to extend credit support to eligible activities covering the agriculture and rural development sector.

2. उद्देश्य Objectives

दीर्घावधि पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

The objectives of providing long-term refinance are as under:

क) कृषि और संबद्ध गतिविधियों में पूँजी निर्माण के लिए सहायता देना.

Supporting capital formation in agriculture and allied activities.

- ख) भारत सरकार और नाबार्ड की बल क्षेत्र की गतिविधियों के संवर्धन हेतु ऋण प्रवाह को दिशा देना. Directing the flow of credit for the promotion of thrust activities of GoI and NABARD.
- ग) संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना.

Meeting the credit requirement of JLGs and SHGs.

 घ) कृषीतर क्षेत्र की गतिविधियों (जैसे एमएसएमई, ग्रामीण आवासन और वाणिज्यिक वाहन) को सहायता देना.

Support for Off-farm sector activities such as MSME, Rural Housing & CV.

- ङ) जलवायु अनुकूलन और शमन की परियोजनाओं को सहायता देना. Support for Climate Adaptation and Mitigation projects
- च) भारत सरकार की ऋण से जुड़ी ऐसी पूँजी सब्सिडी योजनाओं के लिए पुनर्वित्त सहायता जिनकी सब्सिडी नाबार्ड के माध्यम से दी जाती है.

Support for credit linked capital subsidy schemes of GoI, whose subsidy is channelized through NABARD.

3. सहायता का स्वरूप Nature of Accommodation

बैंकों को संवितरण के समक्ष विभिन्न प्रयोजनों हेतु पुनर्वित्त सहायता निम्नलिखित दो प्रकार से प्रदान की जाती है:





Refinance assistance is provided against disbursements, for various purposes under the following two windows:

3.1 पूर्व-मंजूरी Pre-Sanction

पूर्व-मंजूरी प्रक्रिया के अंतर्गत क्षे.ग्रा. बैंक विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को नाबार्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करके पुनर्वित्त प्राप्त कर सकते हैं. नाबार्ड इन परियोजनाओं की तकनीकी साध्यता, वित्तीय व्यवहार्यता और बैंक योग्यता का निर्धारण करने हेतु यथोचित मूल्यांकन के बाद पुनर्वित्त मंजूर करेगा. RRBs can avail refinance under the pre-sanction procedure by submitting Detailed Project Reports for the approval of NABARD. NABARD shall sanction the refinance after due appraisal to determine the projects technical feasibility, financial viability and bankability.

3.2 स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ़) Automatic Refinance Facility (ARF)

स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ) बैंकों को पूर्व-मंजूरी की विस्तृत प्रक्रिया से गुजरे बिना नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है. बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने स्तर पर प्रस्तावों का मूल्यांकन करें और उधारकर्ता को वित्त प्रदान करें. इसके बाद बैंक आहरण आवेदन के आधार पर नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए दावा कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न उद्देश्यों को इंगित करते हुए ऋण संवितरण के बाद पुनर्वित्त का दावा किया गया हो. ऐसे मामलों में नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त की मंजूरी और संवितरण एक साथ किया जाता है. कृषि क्षेत्र (एफएस) और कृषीतर क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की पात्र परियोजनाओं के लिए कुल वित्तीय परिव्यय, बैंक ऋण अथवा पुनर्वित्त की प्रमात्रा की किसी उच्चतम सीमा के बिना स्वचालित पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाती है.

Automatic Refinance Facility (ARF) enables banks to obtain financial accommodation from NABARD, without going through the detailed procedure of pre-sanction process. Banks are expected to appraise the proposals at their own level and finance the borrowers. Banks then may claim refinance from NABARD on the basis of a drawal application, indicating various purposes for which refinance is being claimed after the loan is disbursed. In such cases, the sanction and disbursement of refinance are attended to simultaneously by NABARD. Automatic Refinance Facility is extended without any upper ceiling of Total Financial Outlay, Bank Loan or Quantum of Refinance, for all eligible projects under Farm Sector (FS) and Off-Farm Sector.

4. पात्रता मानदंड Eligibility criteria





4.1 अधिक से अधिक ऋण वितरण, विशेषकर जरूरतमंद कृषि क्षेत्र हेतु, प्रोत्साहित करने की भावना के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सीआरएआर निवल अनर्जक आस्तियों (नेट एनपीए) और निवल लाभ संबंधी प्रारंभिक पात्रता मानदंडों में छूट दी जाए और जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आंतरिक जोखिम रेटिंग श्रेणी एनबीडी1 से एनबीडी7 तक है उन सभी को दीर्घावधि पुनर्वित्त प्रदान किया जाए. आंतरिक जोखिम रेटिंग के अनुसार यदि कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जोखिम रेटिंग श्रेणी एनबीडी 8 और 9 के अंतर्गत आते हैं तो अतिरिक्त प्रतिभूति लेकर पुनर्वित्त प्रदान किया जा सकता है. ये प्रतिभूतियाँ धारणाधिकार अंकित मीयादी जमाएँ – मंजूर पुनर्वित्त के 20% की सीमा तक, अथवा सरकारी प्रतिभूतियाँ अथवा कोई अन्य अर्थसुलभ प्रतिभूतियाँ हो सकती हैं जिनसे नाबार्ड संतुष्ट हो.

In keeping with the spirit to encourage higher lending especially to the needy agricultural sector, it has been decided to waive the preliminary eligibility criteria of CRAR, Net NPA and Net Profit for RRBs and extend Long Term refinance to all RRBs whose internal Risk Rating Category is NBD1 to NBD7. In case any RRB is falling in NBD 8 and NBD9 internal risk rating, refinance may be extended by taking additional collateral security like lien marked FDs from a Scheduled Bank to an extent of 20% of refinance sanctioned or Government securities or any other liquid security to the satisfaction of NABARD.

4.2 जोखिम आकलन Risk Assessment:

01 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के दौरान जोखिम आकलन 31.03.2022 अथवा 31.03.2023 (यदि 31.03.2023 की लेखापरीक्षित स्थिति उपलब्ध है) की स्थिति में बैंक की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जाएगा. 01 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 के लिए यह आकलन 31.03.2023 की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जाएगा. 01 जुलाई 2023 या उससे बाद मंजूरी और आहरण की अनुमति उन्हीं क्षे.ग्रा. बैंकों को दी जाएगी जिन्होंने अपनी लेखापरीक्षा पूर्ण कर ली है और संगत लेखापरीक्षा रिपोर्ट नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत कर दी है. लेखापरीक्षा रिपोर्ट और नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट में बताए गए वित्तीय मापदंडों में किसी भी भिन्नता की स्थिति में, पात्रता निर्धारित करने के लिए नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाएगा.

Risk Assessment during 01 April 2023 to 30 June 2023 will be based on their audited financial position as on 31.03.2022 or 31.03.2023 (if audited position as on 31.03.2023 is available). From 01 July 2023 to 31 March 2024, the same will be based on their audited financial position as on 31.03.2023. Sanction and drawals on or after 01 July 2023 will be permitted only to such RRBs, which have completed the audit and submitted the relevant audit report to the concerned RO of NABARD. In the event of any variation in the financial parameters as indicated in the audit report and the inspection report of NABARD, the latter would be reckoned for determining the eligibility.





4.2 31.03.2023 के बाद वित्तीय मापदंडों में कोई भी बदलाव चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा यथोचित प्रमाणीकरण के बाद एजेंसी की वित्तीय स्थिति के आधार पर पात्रता हेतु मान्य होगा.

Any change in the financial parameters after 31.03.2023 will be considered towards eligibility based on the financials of the agency after due certification by a Chartered Accountant.

4.3 ये पात्रता मानदंड सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं सहित कृषि और कृषीतर - दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत पुनर्वित्त के आहरण पर लागू होंगे.

The eligibility norms will be applicable for drawal of refinance under both Farm and Off-Farm Sectors including Government Sponsored Schemes.

5. पात्र गतिविधियाँ Eligible activities

5.1 पात्र गतिविधियों की सूची अनुबंध में दी गई है. यह सूची केवल निदर्शी है, सम्पूर्ण नहीं. List of eligible activities are furnished in Annexure. The list is only illustrative and not exhaustive.

5.2 उक्त सूची में जिन गतिविधियों का उल्लेख नहीं किया गया है वे यदि कृषि और ग्रामीण विकास के संवर्धन को सुगम बनाती हैं तो वे पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्र हैं. आहरण आवेदन की तिथि की स्थिति में, क्षे.ग्रा. बैंक की बहियों में बकाया वे ऋण पुनर्वित्त के पात्र हैं जिनकी शेष बची परिपक्वता अवधि 18 माह से अधिक है.

Activities not mentioned above but which facilitate the promotion of agriculture and rural development are eligible for refinance assistance. Eligible loans outstanding in the books of the RRB with residual maturity period of more than 18 months as on the date of drawal application are eligible for refinance.

5.3 नाबार्ड को अंतर्निहित आस्ति समूह प्रस्तुत करने से पहले पात्रता, खातों के दोहराव से बचने, अंतिम उपयोगकर्ता के केवाईसी, शेष बची हुई परिपक्वता अवधि, संवितरण की तारीख और ऋण की चुकौती आदि के संबंध में अंतर्निहित आस्ति समूह की सावधानीपूर्वक जाँच की जाए.

Due diligence of the underlying asset pool as regards to eligibility, avoiding duplication of accounts, KYC of the end user, residual maturity, date of disbursement and repayment of the loan, etc. may be undertaken before submission of the pool to NABARD.

 पुनर्वित्त की सीमा Extent of refinance





सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा), पर्वतीय क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड), पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़ तथा नाबार्ड द्वारा अधिसूचित अन्य क्षेत्रों के लिए पुनर्वित्त की सीमा सभी प्रयोजनों हेतु पात्र बैंक ऋण का 95% होगी. अन्य क्षेत्रों के लिए पुनर्वित्त सहायता की सीमा निम्नानुसार होगी:

The extent of refinance for the States in North Eastern Region (Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura) including Sikkim, Hilly Region (Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand), Eastern Region (West Bengal, Odisha, Bihar, Jharkhand and Andaman & Nicobar Islands), Lakshadweep, Chhattisgarh and any other areas notified by NABARD will be 95% of eligible bank loans for all purposes. For Other Regions the extent of refinance shall be :

- क) अनुबंध में किए गए उल्लेख के अनुसार सभी बल क्षेत्रों के लिए 95%;
 95 % for all thrust areas as indicated in the Annexure;
- ख) कृषक साथी योजना और निवेश ऋण हेतु अन्य सभी अनुमोदित प्रयोजनों के लिए 90%. 90% for all other approved purposes for investment credit and Krishak Sathi Yojana

7. पुनर्वित्त की प्रमात्रा Quantum of Refinance

7.1 पुनर्वित्त की प्रमात्रा जोखिम रेटिंग मॉड्यूल के अनुसार निर्धारित की जाएगी और एनबीडी1 से एनबीडी9 में वर्गीकृत की जाएगी. पुनर्वित्त की प्रमात्रा का वर्ग-वार विवरण नीचे दिया गया है: The quantum of refinance will be fixed as per the risk rating module and will be categorised from NBD 1 to NBD 9. The category-wise Quantum of Refinance is as under:

मानदंड/ Criteria	पुनर्वित्त की प्रमात्रा/ Quantum of refinance
एनबीडी 1 से एनबीडी 3 (अंक >60 और ≤ 100) NBD 1 to NBD3 (Marks >60 and ≤100)	राज्य/ बैंक के लिए समग्र आबंटन के अधीन पुनर्वित्त की प्रमात्रा अप्रतिबंधित रहेगी The quantum of refinance will be unrestricted subject to the overall allocation for the State/ Bank.
एनबीडी 4 और एनबीडी 5 (अंक > 40 और ≤ 60) NBD 4 and NBD 5 (Marks >40 and ≤60)	पुनर्वित्त की प्रमात्रा पिछले वर्ष के दौरान आहरित पुनर्वित्त से 40 % अधिक/ 2022-23 के दौरान संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा संवितरित मीयादी ऋणों हेतु आधार स्तरीय ऋण का 100% जो भी अधिक हो, उसके अनुसार तय की जाएगी. The quantum of refinance will be fixed at 40% over and above the refinance drawn





	in the previous year (to all of the ground
	in the previous year / 100% of the ground level credit for term loans disbursed by
	the concerned RRB during 2022-23,
	whichever is higher.
	पुनर्वित्त की प्रमात्रा पिछले वर्ष के दौरान् आहूरित
	पुनर्वित्त से 25% अधिक/ 2022-23 के दौरान
	संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा संवितरित
	मीयादी ऋणों हेतु आधार स्तरीय ऋण का 100%,
	जो भी अधिक हो, उसके अनुसार तय की जाएगी.
, (The quantum of refinance will be fixed at $2\pi^{2}$
40)	25% over and above the refinance drawn
	in the previous year/ 100% of the ground
	level credit for term loans disbursed by
	the concerned RRB during 2022-23 whichever is higher.
	आंतरिक जोखिम रेटिंग के अनुसार यदि कोई
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जोखिम रेटिंग् श्रेणी एनबीडी8
	और एनबीडी9 के अंतर्गत आता है तो मंजूर किए
	गए पुनर्वित्त की 20% की राशि तक की अतिरिक्त
	संपार्श्विक प्रतिभूति लेकर पुनर्वित्त मंजूर किया जा
	सकता है. ये प्रतिभूति धारणाधिकार अंकित
	मीयादी जमाएँ या सरकारी प्रतिभूतियाँ हो सकती
	हैं. पात्र जीएलसी राशि के 100% तक पुनर्वित्त
NBD 8 to NBD 9 (Marks \leq 20)	दिया जा सकता है.
	In case any RRB is falling in NBD 8 and
	9 internal risk rating, refinance may be
	extended by taking additional collateral
	security like lien marked FDs from a
	Scheduled Bank or Government
	securities to an extent of 20% of
	refinance sanctioned. Refinance may be
	up to 100% of eligible GLC amount

7.2 पूर्वी क्षेत्र के राज्यों (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह), सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र, पर्वतीय राज्यों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) लक्षद्वीप तथा छत्तीसगढ़ में ऋण-प्रवाह में वृद्धि करने की दृष्टि से श्रेणी-वार पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं :

With a view to increasing the credit flow to the States in the Eastern Region (West Bengal, Odisha, Bihar, Jharkhand and Andaman & Nicobar Islands), North Eastern Region including Sikkim, Hilly States (Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand), Lakshadweep and Chhattisgarh), the category-wise eligibility criteria are mentioned below:





मानदंड/ Criteria	पुनर्वित्त की प्रमात्रा/ Quantum of
Hings/ Criteria	refinance
एनबीडी1 से एनबीडी3 (अंक >60 और ≤ 100) NBD1 to NBD3 (Marks >60 and ≤ 100)	राज्य/बैंक हेतु समग्र आबंटन के अधीन पुनर्वित्त की प्रमात्रा असीमित रहेगी. The quantum of refinance will be unrestricted subject to the overall allocation for the State/Bank.
एनबीडी 4, एनबीडी 5, एनबीडी 6 और एनबीडी 7 (अंक >20 और ≤ 60) NBD 4, NBD5, NBD 6 and NBD 7 (Marks >20 and ≤ 60)	पुनर्वित्त की प्रमात्रा पिछले वर्ष के दौरान आहरित पुनर्वित्त से 40 % अधिक/ 2022-23 के दौरान संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा संवितरित मीयादी ऋणों हेतु आधार स्तरीय ऋण का 100% जो भी अधिक हो, उसके अनुसार तय की जाएगी. The quantum of refinance will be fixed at 40% over and above the refinance drawn in the previous year/ 100% of the ground level credit for term loans disbursed by the concerned RRB during 2022-23, whichever is higher.
एनबीडी 8 से एनबीडी 9 (अंक ≤ 20) NBD 8 to NBD 9 (Marks ≤ 20)	अांतरिक जोखिम रेटिंग के अनुसार यदि कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जोखिम रेटिंग श्रेणी एनबीडी 8 और 9 के अंतर्गत आते हैं तो मंजूर किए गए पुनर्वित्त की 20% की राशि तक की अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति लेकर पुनर्वित्त मंजूर किया जा सकता है. ये प्रतिभूति धारणाधिकार अंकित मीयादी जमाएँ या सरकारी प्रतिभूतियाँ हो सकती हैं. पात्र जीएलसी राशि के 100% तक पुनर्वित्त दिया जा सकता है. In case any RRB is falling in NBD 8 and 9 internal risk rating, refinance may be extended by taking additional collateral security like lien marked FDs from a scheduled bank or Government securities to an extent of 20% of refinance sanctioned. Refinance may be up to 100% of eligible GLC amount

8.क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलयन

Merger of RRBs

8.1 विलयित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में, वर्ष 2023-24 के लिए इन बैंकों को पुनर्वित्त की मंजूरी का आधार अधिसूचना/ विलयन की तिथि को नए/ विलय किए गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की वित्तीय





स्थिति होगी जिसका आकलन 31.03.2022 की स्थिति में पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की विशेष लेखापरीक्षा अथवा उनकी समेकित लेखापरीक्षित स्थिति के आधार पर किया जाएगा. इसके अलावा, यदि 31.03.2023 को सांविधिक लेखा परीक्षा की स्थिति उपलब्ध हो, तो बैंको को पुनर्वित्त मंजूर करने पर विचार किया जाएगा.

In case of merged Banks, the financial position of the new / merged RRBs as on the date of notification / merger based on special audit or the aggregate audit position as on 31.03.2022 of the erstwhile RRBs will form the basis for sanction of refinance to RRBs for the year 2023-24. Further, if the statutory audit position as on 31.03.2023 is available, the same will be considered for sanction of the refinance to the banks.

8.2 समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जिन्हें अभी तक भारतीय रिज़र्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, उनका अनुसूचीकरण होने तक उन्हें विशेष मामले के रूप में पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा. अनुसूचित क्षे.ग्रा. बैंकों तथा अनुसूचित किए जाने हेतु नाबार्ड द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुशंसित क्षे.ग्रा. बैंकों को सामान्य तरीके से ही पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा. जिन क्षे.ग्रा. बैंकों को अनुसूचित नहीं किया गया है, उन्हें अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति के समक्ष पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा जैसे धारणाधिकारयुक्त मीयादी जमाएँ या सरकारी प्रतिभूतियाँ या अन्य कोई अर्थसुलभ प्रतिभूतियाँ जिनसे नाबार्ड संतुष्ट हो.

Refinance will be provided to amalgamated RRBs which are yet to be included in the Second Schedule of RBI Act as a special case, till the scheduling is done. RRBs which are scheduled as also those recommended by NABARD for schedule status to RBI will be provided refinance as usual. Unscheduled RRBs will be provided refinance against additional collateral security like lien marked FDs from a Scheduled bank or Government securities or any other liquid security to the satisfaction of NABARD.

9. ब्याज दर Interest rate

9.1 पुनर्वित्त पर ब्याज

Interest on refinance:

नाबार्ड पुनर्वित्त की अवधि, वर्तमान बाजार दर, जोखिम अवधारणा आदि के आधार पर पुनर्वित्त की ब्याज दर का निर्धारण करेगा और यह समय-समय पर संशोधन के अधीन होगी. नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए जोखिम आकलन मॉड्यूल के आधार पर सभी क्षे.ग्रा. बैंकों को 9 जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. तदनुसार पुनर्वित्त पर ब्याज दर के अतिरिक्त निर्दिष्ट जोखिम प्रीमियम प्रभारित किया जाएगा.

The interest rates on refinance will be decided by NABARD based on tenor, prevailing market rate, risk perception etc. and is subject to revision from time to time. All RRBs have been classified into 9 risk categories as per the risk assessment module devised





by NABARD. Prescribed risk premium will accordingly be charged over and above the rate of interest on refinance.

9.2 दंडात्मक ब्याज Penal Charges:

चूक की स्थिति में, चूक की अवधि के लिए चूक की राशि पर 2.00% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लिया जाएगा.

In the event of default, penal charges of 2.00% p.a, will be charged on the defaulted amount for the period of default.

9.3 अवधि-पूर्व चुकौती के लिए सुविधा प्रभार Pre-payment facilitation charges:

अवधि-पूर्व चुकौती की स्थिति में सुविधा प्रभार 2.50% प्रति वर्ष होगा. यह प्रभार अवधि-पूर्व चुकौती की तिथि से चुकौती की वास्तविक देय तिथि तक की पूर्ण अवधि हेतु प्रत्येक देय किस्त के लिए अलग-अलग प्रभारित किया जाएगा. न्यूनतम अवधि 6 माह होगी.

न्यूनतम 3 कार्य दिवसों का नोटिस देने के बाद ही अवधि-पूर्व चुकौती शुरू किया जा सकता है. डिमांड नोटिस जारी होने के बाद किए गए चुकौती के लिए अवधि-पूर्व चुकौती सुविधा शुल्क नहीं लगाया जाएगा. The pre-payment facilitation charges will be 2.50% p.a. and will be chargeable for each instalment due separately for the entire period from the date of pre-payment to the date on which the instalment is due for payment with a minimum period of 06 months. The prepayment can only be initiated after giving a minimum notice of 3 working days. Prepayment facilitation charges will not be levied for payments made after issuance of demand notice.

10. चुकौती अवधि Repayment Period

ऋण 18 महीने से अधिक की अवधि के लिए होगा. पुनर्वित्त के मूलधन और ब्याज की चुकौती तिमाही आधार पर की जाएगी जिसमें मूलधन की देय तिथि 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च होगी और ब्याज की देय तिथि 01 जुलाई, 01 अक्तूबर, 01 जनवरी और 01 अप्रैल होगी. मूलधन की पहली देय तिथि पुनर्वित्त जारी होने के बाद की तिमाही होगी. अनुमोदित चुकौती अनुसूची मंजूरी पत्र (पत्रों) में निर्दिष्ट की जाएगी.

The loan would be for tenors above 18 months. The due date for repayment of principal and interest will be **quarterly with due dates for principal on 30 June, 30 Sep, 31 Dec and 31 March** and due dates for interest would be 1 July, 1 October, 1 January and 1 April. The first due date of principal would be the quarter following the release of refinance. The approved repayment schedule will be specified in the letter(s) of sanction.





11. प्रतिभूति Security

पुनर्वित्त से दिए गए ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रतिभूति नाबार्ड द्वारा सामान्य पुनर्वित्त करार (जीआरए)/ मंजूरी पत्र में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार होगी. साथ ही, बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके पास उसका चालू खाता होता है, से नाबार्ड के पक्ष में एक विधिवत् अधिदेश प्राप्त करना होगा.

The security for loans and advances by way of refinance shall be such as may be specified by NABARD in the General Refinance Agreement (GRA)/Letter(s) of sanction. Besides, a Mandate in favour of NABARD will have to be duly obtained by the bank from RBI, where its current account is maintained.

एनबीडी8 या 9 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में मंजूर पुनर्वित्त की 20% राशि तक की धारणाधिकार अंकित मीयादी जमाएँ अथवा सरकारी प्रतिभूतियाँ अथवा नाबार्ड की संतुष्टि के अनुरूप कोई अन्य अर्थसुलभ प्रतिभूति प्राप्त की जाए.

In case of NBD8 or NBD9 rated RRBs, lien marked FDs to an extent of 20% of refinance sanctioned or Government securities or any other liquid security to the satisfaction of NABARD will be obtained.

बोर्ड संकल्प या बोर्ड की उप-समिति का संकल्प जिसमें क्षे.ग्रा. बैंक की उधार लेने की शक्तियाँ, नाबार्ड से उधार लेने का प्राधिकार, नमूना हस्ताक्षर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची और एक प्रमाण पत्र नाबार्ड को प्रस्तुत किया जाना है जो यह पुष्टि करता है कि नाबार्ड से प्राप्त मौजूदा उधार एजेंसी की समग्र उधार सीमा के भीतर है.

Board resolution or the resolution of the sub-committee of the Board indicating the borrowing powers of the RRB, authority to borrow from NABARD, authorised signatory list with specimen signatures and a certificate confirming that the current borrowing from NABARD is within the overall borrowing limit of the agency.

10. परियोजनाओं का पूर्व-लेखापरीक्षण, अनुप्रवर्तन तथा पर्यवेक्षण Pre Audit, Monitoring and supervision of projects

नाबार्ड के पास लेखा बहियों और अन्य संबंधित सामग्री की विशेष लेखा परीक्षा स्वयं या अन्य एजेंसियों के माध्यम से (उधार लेने वाली संस्था की लागत पर) करवाने का अधिकार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक की बहियों और अन्य संबंधित सामग्री का रख-रखाव प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाता है और बैंक द्वारा पुनर्वित्त के नियम और शर्तों का पालन किया जाता है.

NABARD will have the right to cause special audit of the books of accounts and other relevant material either by itself or through other agencies (at borrowing entity's cost)





to ensure that same are maintained as per the rules and regulations in force and the terms and conditions of refinance are adhered to by the bank.

पुनर्वित्त के निबंधनों व शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड को स्थल पर सत्यापन/ जाँच का अधिकार होगा.

NABARD would have the right to conduct spot verification/checks to ensure that the terms and conditions of refinance are adhered to.

अन्य सभी मौजूदा निबंधन व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.

All other existing terms and conditions will remain unchanged.





अनुबंध Annexure

विविध ऋण उत्पादों के तहत शामिल गतिविधियों की सूची LIST OF ACTIVITIES COVERED UNDER VARIOUS LOAN PRODUCTS

क. दीर्घावधि पुनर्वित्त Long Term Refinance

1.1 बल क्षेत्र/ Thrust Areas

पुनर्वित्त को जारी करने में जिन बल क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी, उनमे शामिल हैं: Thrust areas for which preference will be given for release of refinance include:

भूमि विकास, लघु और सूक्ष्म सिंचाई, जल संरक्षण और जल संरक्षण के संसाधन, मत्स्यपालन, पशुपालन, स्वयं सहायता समूह/ संयुक्त देयता समूह/ रायतु मित्र समूह (आरएमजी), किसान उत्पादक संगठन, कृषि क्लिनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्र, ग्रामीण आवासन, कृषि प्रसंस्करण, बंजर भूमि विकास, शुष्क भूमि कृषि, ठेका खेती, क्षेत्र विकास योजनाएँ, बागान और बागबानी, कृषि-वानिकी, बीज उत्पादन, ऊतक संवर्धन प्लांट उत्पादन, कृषि-विपणन आधारभूत संरचना (कोल्ड स्टोरेज़, गोदाम, बाजार केंद्र आदि सहित) कृषि औज़ार, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, और पहले ही कार्यान्वित किए जा चुके वाटरशेड और आदिवासी विकास कार्यक्रमों के इलाकों में वित्तपोषण.

Land development, minor & micro irrigation, water saving and water conservation devices, fisheries, animal husbandry, SHGs / JLGs/ Rythu Mithra Groups (RMGs), FPOs, agri-clinics and agri-business centres, rural housing, agro-processing, wasteland development, dryland farming, contract farming, area development schemes, plantation & horticulture, agro-forestry, seed production, tissue culture plant production, agri-marketing infrastructure (including cold storage, godowns, market yards etc.), agriculture implements, non-conventional energy sources, financing in areas of watershed & tribal development programmes already implemented.

1.2 स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा के तहत शामिल गतिविधियाँ

Activities covered under Automatic Refinance Facility

1.2.1) कृषि क्षेत्र

Farm Sector

- (i) भूमि विकास Land development
- (ii) लघु और सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप सिंचाई





	Minor & micro irrigation, drip irrigation
(iii)	जल बचाव और जल संरक्षण उपकरण
	Water saving and water conservation devices
(iv)	डेयरी
	Dairy
(v)	मुर्गी पालन
	Poultry
(vi)	मधुमक्खी पालन
	Beekeeping
(vii)	रेशम उत्पादन
	Sericulture
(viii)	मत्स्यपालन
	Fisheries
(ix)	पशुपालन
	Animal husbandry
(x)	स्वयं सहायता समूहों/ संयुक्त देयता समूहों/ रायतु मित्र समूहों को दिए गए ऋण
	Loans to Self Help Groups / Joint Liability Groups / Rythu Mitra Groups
(xi)	शुष्क भूमि कृषि
	Dryland farming
(xii)	ठेका खेती
	Contract farming
(xiii)	बागान और बागवानी
	Plantation & horticulture
(xiv)	कृषि वानिकी
	Agro-forestry
(xv)	बीज उत्पादन
	Seed production
(xvi)	टिश्यू केल्चर प्लांट प्रोडक्शन
	Tissue culture plant production
(xvii)	कृषि और संबद्ध गैतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े कॉर्पोरेट किसानों, कृषक उत्पादक
	संगठनों, किसानों की एकल कंपनियों, साझेदारी फ़र्मों और किसानों की सहकारी
	संस्थाओं और कृषक सहकारी समितियों को प्रति उधारकर्ता ₹2 करोड़ की सीमा तक
	के ऋण
	Loans to corporate farmers, farmers' producer organizations/ companies of individual farmers, partnership firms and co-operatives of
	farmers directly engaged in Agriculture and Allied Activities, up to an
	aggregate limit of ₹2 crore per borrower
(xviii)	कृषि उपकरण
()	Agriculture implements





(xix)	नियंत्रित परिस्थितियों अर्थात् पॉलीहाउस/ग्रीनहाउस में उच्च मूल्य /विदेशी प्रजातियों की
	सब्जियों कट फ्लावर्स का उत्पादन
	Production of high value / exotic vegetables, cut flowers under controlled
	conditions i.e. poly house / green house,
(xx)	सब्जियों और फलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशरूम, टिश्यू कल्चर लैब, प्रिसीज़न
	फ़ार्मिंग जैसे हाई टेक-निर्यातोन्मुख उत्पादन इकाईयों की स्थापना.
	Establishment of hi-tech export oriented production like mushroom,
	tissue culture labs, precision farming for enhancement of productivity in
	vegetables and fruits.

1.2.2 अन्य गतिविधियाँ

Other Activities

(i)	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने वाले विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के सूक्ष्म, लघु
	और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)
	MSME for both manufacturing and service, that creates employment in
	rural areas
(ii)	कृषि क्लिनिक्स व कृषि व्यवसाय केन्द्र
	Agri-clinics and Agri-business centres
(iii)	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्ट-अप्स जो एमएसएमई,
	कृषि और संबद्ध सेवाओं में कार्यरत हैं.
	Start-ups, as per definition of Ministry of Commerce and Industry, Govt.
	of India that are engaged in MSME, agriculture and allied services
(iv)	ग्रामीण आवास
	Rural housing
(v)	वाणिज्यिक वाहन
	Commercial Vehicles
(vi)	कृषि प्रसंस्करण
	Agro-processing
(vii)	मृदा संरक्षण और वाटरशेड विकास
	Soil conservation and watershed development.
(viii)	कृषि विपणन आधारभूत संरचना (शीत भंडारण, गोदाम, बाजार केंद्र, सिलोस आदि
	सहित) चाहे जहाँ भी स्थित हो
	Agri-marketing infrastructure (including cold storage, warehouse,
	godowns, market yards, silos etc.) irrespective of their location
(ix)	गैरपरंपरागत ऊर्जा स्रोत
	Non-conventional energy sources
(x)	पहले से ही कार्यान्वित किए गए वाटर शेड और जनजाति विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में
	वित्तपोषण





Financing in areas of watershed & tribal development programmes already implemented.

 (xi) प्लांट टिशू कल्चर और कृषि जैव प्रौद्योगिकी, बीज उत्पादन, जैव कीटनाशक, जैव उर्वरक का उत्पादन और वर्मी कम्पोस्टिंग.

Plant tissue culture and agri-biotechnology, seed production, production of bio-pesticides, bio-fertilizer, and vermi composting.

(xii) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), कृषक सेवा समितियों (एफएसएस) और बड़े आकार की आदिवासी बहुउद्देशीय समितियों (एलएएमपीएस) का कृषि क्षेत्र में आगे ऋण देने के लिए बैंक ऋण

> Bank loans to Primary Agricultural Credit Societies (PACS), Farmers' Service Societies (FSS) and Large-sized Adivasi Multipurpose Societies (LAMPS) for on-lending to agriculture.

(xiii) कृषि क्षेत्र में आगे ऋण देने के लिए बैंकों द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं - सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को मंजूर ऋण

Loans sanctioned by banks to NBFC-MFIs for on-lending to agriculture sector

(xiv) केवीआई (खादी ग्रामोद्योग)

KVI (Khadi Village Industries)

(xv) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्यालय, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता की सुविधाएँ और अन्य सामाजिक आधारभूत सुविधाएँ

Rural Schools, health care facility, drinking water facility, sanitation facility and other Social infrastructure in rural areas

(xvi) नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर आधारित ऊर्जा जेनेरेटर, बायोमास आधारित ऊर्जा जेनेरेटर, पवन चक्कियाँ, सूक्ष्म हाईडेल परियोजनाएँ और गैरपारंपरिक ऊर्जा आधारित सार्वजनिक जन सुविधाएँ जैसे सड़क प्रकाश व्यवस्था और दूर दराज के गांवों का विदयुतीकरण

> Renewable energy like solar based power generators, biomass based power generators, wind mills, micro-hydel plants and for nonconventional energy based public utilities viz. street lighting systems, and remote village electrification

(xvii) ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरकरण के लिए एकल सौर कृषि पंपों की स्थापना; बंजर / परती भूमि पर या किसान के स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर स्टिल्ट फैशन में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

> Installation of stand-alone Solar Agriculture Pumps and for solarisation of grid connected Agriculture Pumps; installation of solar power plants on barren/fallow land or in stilt fashion on agriculture land owned by farmer.





(xviii)	जैव ईंधन के उत्पादन के लिए तेल निष्कर्षण/प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण, उनके भंडारण और वितरण के बुनियादी ढांचे के साथ-साथ उद्यमियों को कोंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण Construction of oil extraction/ processing units for production of bio- fuels, their storage and distribution infrastructure along with loans to entrepreneurs for setting up Compressed Bio Gas (CBG) plants
(xix)	व्यक्तियों, संस्थानों या संगठनों द्वारा प्रबंधित कस्टम हायरिंग इकाइयाँ जो ट्रैक्टर, बुलडोजर, कुएँ की बोरिंग के उपकरण, थ्रेशर, कंबाइन आदि रखती हैं और अनुबंध के आधार पर किसानों के लिए कृषि कार्य करती हैं Custom hiring Units managed by individuals, institutions or organizations who maintain a fleet of tractors, bulldozers, well-boring equipment, threshers, combines, etc., and undertake farm work for
	farmers on contract basis
(xx)	कृषक साथी योजना
(xxi)	Krishak Sathi Yojana क्षेत्र विकास योजनाएँ
(xxii)	Area development schemes कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के उत्पादन के विपणन और निविष्टियों की आपूर्ति में विकेंद्रीकृत क्षेत्र की सहायता करने वाली संस्थाओं को ऋण
(xxiii)	Loans to entities involved in assisting the decentralized sector in the supply of inputs and marketing of output of artisans, village and cottage industries पूर्व-निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ खेती करने वाले एफपीओ/एफपीसी को प्रति उधारकर्ता इकाई ₹5 करोड़ तक का ऋण Loans up to ₹5 crore per borrowing entity to FPOs/FPCs undertaking farming with assured marketing of their produce at a pre-determined
(xxiv)	price बैंकिंग प्रणाली से कृषि आधारभूत संरचना हेतु ऋण जो प्रति उधारकर्ता मंजूर की गई ₹100 करोड़ की कुल सीमा के अधीन हैं
(xxv)	Loans for agriculture infrastructure subject to an aggregate sanctioned limit of ₹100 crore per borrower from the banking system सदस्यों की उपज की खरीद के लिए किसानों की सहकारी समितियों को ₹5 करोड़ तक का ऋण
(xxvi)	Loans up to ₹5 crore to co-operative societies of farmers for purchase of the produce of members वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार, कृषि और संबद्ध सेवाओं में लगे स्टार्ट-अप को ₹50 करोड़ तक का ऋण

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward





	Commerce and Industry, Govt. of India that are engaged in agriculture
	and allied services
(xxvii)	बैंकिंग प्रणाली से खाद्य और कृषि-प्रसंस्करण हेतु ऋण जो प्रति उधारकर्ता मंजूर की गई
	₹100 करोड़ की कुल सीमा के अधीन हैं
	Loans for Food and Agro-processing up to an aggregate sanctioned limit
	of ₹100 crore per borrower from the banking system
(xxviii)	भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र मास्टर दिशानिर्देशों के अनुबंध III के अनुसार
	खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के तहत अनुमेय गतिविधियाँ
	Permissible Activities under Food Processing Sector as per Annexure III
	of Priority Sector Master Directions of RBI.

Loans up to ₹50 crore to Start-ups, as per definition of Ministry of

कृषि और ग्रामीण विकास के संवर्धन में सहायता प्रदान करने वाली अन्य कोई गतिविधि जिसका उल्लेख ऊपर न किया हो ,को भी शामिल किया जा सकता है.

Any other activities not mentioned above may also be covered if it facilitates the promotion of agriculture and rural development.